न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.आ.)ासणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 95/2019

प्रार्थी

1. सबलाराम पुत्र मोड़ाराम
2. छगना पुत्र मोडाराम
3. कोजी पत्नि मोडाराम
4. राणाराम पुत्र मदुराम
5. मालाराम पुत्र मदुराम
6. नींबाराम पुत्र सालूराम
7. पूराराम पुत्र सालूराम
8. अंतरोदेवी पत्नि सालूराम

जतियान माली निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हिन्दूराम पुत्र हराराम
2. कानाराम पुत्र हराराम
3. तारा पत्नी हराराम
4. जुगताराम पुत्र आईदानराम
5. वागाराम पुत्र आईदानराम
6. ईष्वरलाल पुत्र आम्बाराम
7. शान्तीदेवी पत्नी आम्बाराम
8. अमराराम पुत्र टीकमाराम
9. कालूराम पुत्र टीकमाराम
10. चुन्नीलाल गोदपुत्र खीमाराम
11. इन्दिरा पुत्री खीमाराम
12. पारसमल पुत्र रामलाल
13. ताजाराम पुत्र रामलाल
14. भीखाराम पुत्र रामलाल
15. कमला पत्नि रामलाल
16. जैसाराम पुत्र तुलछाराम
17. प्रभूराम पुत्र तुलछाराम
18. मोहनलाल पुत्र तुलछाराम
19. मथरों पत्नी तुलछाराम
20. चिमनाराम पुत्र सालूराम
21. पूनमाराम पुत्र सालूराम
22. अमराराम पुत्र सालूराम

जाति सुथार निवासी पांयला कलां तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

23. दानाराम पुत्र गडूकाराम
24. चेतनराम पुत्र गडूकाराम
25. गेबाराम पुत्र गडूकाराम
26. गेबाराम पुत्र गडूकाराम
27. आसीदेवी पत्नी गडूकाराम
28. बगदाराम पुत्र प्रतापाराम
29. राणाराम पुत्र चिमनाराम
30. पूनमाराम पुत्र चिमनाराम
31. कुंपाराम पुत्र चिमनाराम
32. भारमलराम पुत्र दूर्गाराम
33. भीमाराम पुत्र दूर्गाराम
34. बाबूराम पुत्र जेठाराम
35. छगनाराम पुत्र जेठाराम
36. टमूदेवी पत्नि जेठाराम
37. [illegible]राराम पुत्र मोटाराम
38. मंगलाराम पुत्र मोटाराम
39. अचलाराम पुत्र मोटाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

40. भंवराराम पुत्र मोटाराम
41. लीलादेवी पत्नि दीपाराम
42. दौलाराम पुत्र दुर्गाराम
जातियान कुम्हार निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
43. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी
44. रामभारती चेला गोपाल भारती जाति स्वामी निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री दलाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 11 से 42 व 44 एकतरफा।

आदेश

दिनांक 07.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेठा को लेकर हमेशा तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जोगराज पोटालिया की ओर से विप्रार्थी संख्या 10 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 09 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

से 42 व 44 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 10 अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेठा को लेकर हमेशा तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित अपने खेतों की पक्की नेखमबंदी करवाने एवं सीमाज्ञान के लिए कई बार संबंधित हल्का पटवारी व हल्का भू–अभिलेख निरक्षण का निवेदन किया गया परन्तु पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमा संबंधी विवाद होने से सीमाज्ञान करवाया जाना संभव नहीं हो सका। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 10 की बहस है कि यह बात सही है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि अवस्थित है तथा खेतों के बीच कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण हमेशा तनाजा एवं विवाद बना रहता है, परन्तु विप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से सेढा की मेड़ को नहीं तोड़ा जा रहा है और न ही किसी प्रकार से प्रार्थी की भूमि पर काश्त करते हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर विधि सम्मत आदेश फरमावे।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

स्वा भूमि प्रार्थीगण की आवगी खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2072–75 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार, सिणधरी की मौका जांच से यह जाहिर होता है कि पूर्व में विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही प्रस्तावित की गई, परन्तु पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमा संबंधी विवाद होने पर सीमाज्ञान करवाया जाना संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में नेखमबदी से पूर्व उक्त भूमि का सीमाज्ञान पुनः करवाया जाना आवश्यक है। उपरांत विवेचन उपरांत साबित होता है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है।

5. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 513 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 17 विस्वा भूमि के सबंध में पुनः सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम्)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07-09-22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested